

छावनी परिषद, रानीखेत ।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत श्रीमती पुष्पा कैंडा पत्नी श्री कैलाश चन्द्र सिंह कैंडा जरुरी बाजार रानीखेत द्वारा दाखिल खारिज की कार्यवाही उनके नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	श्री नारायण सिंह भैसोड़ा एवं श्री आनंद बल्लभ जोशी, पुत्र श्री गंगा दत्त जोशी, श्री कैलाश चन्द्र सिंह कैंडा पुत्र श्री शिव सिंह कैंडा एवं श्री पंकज कुमार खुल्बे पुत्र श्री एल0डी0 खुल्बे संयुक्त रूप से	श्री पंकज कैंडा पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द्र सिंह कैंडा, श्रीमती पुष्पा कैंडा पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द्र सिंह	मकान सं0 719-719 A	99 / 92

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्षों को छावनी परिषद कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका मालिकाना हक के बारे में कोई संबंध नहीं है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट www.cbranikhet.org.in पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261 / दा0खा0 / सर्वे सं0 99 / 92 / 16
दिनांक: 09 मार्च, 2016

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
(एम0वेकट नरसिम्हा रेड्डी)

प्रतिलिपि:-

श्रीमती पुष्पा कैंडा पत्नी श्री कैलाश चन्द्र सिंह कैंडा
जरुरी बाजार रानीखेत

छावनी परिषद, रानीखेत।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत श्री यतीश रौतेला पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रौतेला, सुदामा पुरी खड़ी बाजार रानीखेत द्वारा दाखिल खारिज की कार्यवाही उनके नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	श्री देवी लाल साह पुत्र श्री जय लाल साह	श्री यतीश रौतेला एवं श्रीमती बिन्दु रौतेला	मकान सं०-620	99 / 67

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्षों को छावनी परिषद कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका मालिकाना हक के बारे में कोई संबंध नहीं है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट www.cbranikhet.org.in पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261 / दा०खा० / सर्वे सं० 99 / 67 / 16

दिनांक: 09 मार्च, 2016

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
(एम०वेंकट नरसिम्हा रेड्डी)

प्रतिलिपि:—

श्री यतीश रौतेला पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रौतेला,
सुदामा पुरी खड़ी बाजार रानीखेत

छावनी परिषद,रानीखेत।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत श्री रमेश चन्द्र जोशी पुरानी आबकारी रानीखेत द्वारा दाखिल खारिज की कार्यवाही उनके नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	श्री चन्द्र बल्लभ जोशी पुत्र श्री गौरी दत्त जोशी	श्री रमेश चन्द्र जोशी, श्री कमल किशोर जोशी पुत्र श्री त्रिलोचन जोशी, श्री सोरभ जोशी, श्री योगेश जोशी पुत्र श्री जीवन चन्द्र जोशी एवं नितिन जोशी पुत्र श्री भुवन जोशी।	बिल्डिंग साईट	99/1/7

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्षों को छावनी परिषद कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका मालिकाना हक के बारे में कोई संबंध नहीं है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट www.cbranikhhet.org.in पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261/दा0खा0/सर्वे सं0 99/1/7
दिनांक: 09 मार्च, 2016

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
(एम0वेंकट नरसिम्हा रेड्डी)

प्रतिलिपि:-

श्री रमेश चन्द्र जोशी पुरानी आबकारी रानीखेत